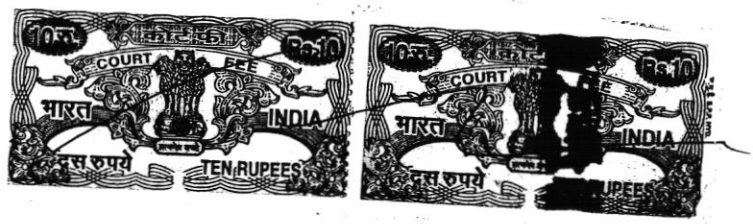

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर

कैम्प भोपाल निग -1261- I-16

प्रकरण क्रमांक : ....

चुन्नू खाँ आत्मज मेहमूद ख़ाँ
निवासी – ग्राम हाजीपुर, तहसील सिरोंज,
ज़िला विदिशा .... निगरानीकर्ता

विरूद्ध

01. अब्दुल सत्तार आत्मज नामालूम

02. अजरा शाहीन पत्नी अब्दुल सत्तार
दोनों निवासीगण – बारहमहल,
शाहजहांनाबांद, भोपाल
हाल निवासी – गुना।

03. भूरे ख़ाँ आत्मज मेहमूद ख़ाँ
निवासी हाजीपुर, तहसील सिरोंज,
ज़िला विदिशा

04. मिस्तार बी पत्नी छुट्टू खाँ
निवासी हाजीपुर, तहसील सिरोंज,
ज़िला विदिशा

05. बन्ने ख़ाँ आत्मज छुट्टू ख़ाँ
निवासी हाजीपुर, तहसील सिरोंज,
ज़िला विदिशा

06. बदरून बी पुत्री छुट्टू ख़ाँ
निवासी हाजीपुर, तहसील सिरोंज,
ज़िला विदिशा

07. बन्ने ख़ाँ आत्मज छुट्टू ख़ाँ
निवासी हाजीपुर, तहसील सिरोंज,
ज़िला विदिशा

08. जीवन सिंह आत्मज नामालूम यादव
निवासी ग्राम सांकलोन, तहसील सिरोंज,
ज़िला विदिशा

निरंतर......

ब्रज किशोर श्रीवास्तव
एडवोकेट
25, हरिनिवास '' दुर्गा चौक''
बरखेड़ा, भोपाल

XX K(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1261-एक/16 **जिला** - विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21/08/18	प्रकरण का अवलोकन किया यह निगरानी **अपर** आयुक्त भोपाल, संभाग भोपाल के प्रकरण क्रमांक 75/अपील/10-11 में पारित आदेश दिनांक 31.12.2015 के विरुद्ध म.प्र. **भू**-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की **धारा**-50 के तहत पेश की गई है। 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आ**वेदक** द्वारा तहसीलदार सिरोंज जिला विदिशा के आदेश **दिनाक** 26.10.10 के विरुद्ध अतिरिक्त कलेक्टर विदिशा के **समक्ष** निगरानी प्रस्तुत की, जो उनके आदेश दिनांक 02.02.2011 द्वारा अग्राह्य की गई। कलेक्टर के इस आदेश के विरुद्ध अपर आ**युक्त** भोपाल संभाग भोपाल के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जो **उनके** आदेश दिनांक 31.12.2015 द्वारा निरस्त की जाकर अधी**नस्थ** न्यायालयों के आदेशों को यथावत रखा गया। अपर आयुक्त **के** इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश **की गई** है। 3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता **द्वारा** प्रकरण का निराकरण रिकॉर्ड के आधार पर किए जाने का **निवेदन** किया गया है। 4/ अनावेदक अधिवक्ता को लिखित तर्क प्रस्तुत **करने** हेतु दिनांक 11.07.2018 को 15 दिवस का समय दिया गया **था**, परंतु उनके द्वारा आज दिनांक तक लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं **किए** गए हैं। अत: प्रकरण का निराकरण रिकॉर्ड के आधार पर किया जा रहा है। 5/ प्रकरण का अवलोकन किया गया। अभिलेख **को** देखने से स्पष्ट होता है कि इस प्रकरण में तहसीलदार **द्वारा** उभयपक्षों को विधिवत सुनवाई का अवसर दिया जाकर संहिता **की**	

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	धारा-32 का आवेदन स्वीकार किया गया है। इस आदेश की पुष्टि अपर कलेक्टर एवं अधीनस्थ न्यायालय ने की है। प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए तहसील न्यायालय का आदेश उचित है। प्रकरण का निराकरण गुण-दोष पर अभी तहसीलदार के समक्ष होना है, जहां आवेदक को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर उपलब्ध है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है। उभयपक्ष सूचित हों, अभिलेख वापिस हो। **(एम.गोपाल रेड्डी)** **प्रशासकीय सदस्य**	